भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा. संख्या 6/15/2022-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 29 दिसंबर, 2022

जांच शुरूआत अधिसूचना
मामला संख्याः ए डी (ओआई) -15/2022

विषयः चीन जन.गण., यूरोपीय संघ तथा स्विटजरलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "विटामिन-ए पलमीटेट" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

1. फा.सं. 6/15/2022- डीजीटीआर - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार पिरामल फार्मा लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक" अथवा "याचिकाकर्ता" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, जिसमें चीन जन.गण., यूरोपीय संघ तथा स्विटजरलैंड (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "विटामिन-ए पालमीटेट" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है तथा

संबद्ध देशों के मूल के अथवा से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद विटामिन-ए पालमीटेट है जिसमें विटामिन-ए पालमीटेट 1.7 एमआईयू/ जीएम तथा विटामिन-ए पालमीटेट 1.0 एमआईयू/ जीएम दोनों शामिल हैं, जिसमें स्थिरीकरण के सहित या उसके बिना उसकी सभी मात्राएं और रूप शामिल हैं । यद्यपि, केवल सांद्रण में अंतर के साथ विटामिन-ए पालमीटेट 1.7 एमआईयू/ जीएम तथा विटामिन-ए पालमीटेट 1.0 एमआईयू/ जीएम उत्पाद के उप प्रकार हैं जिनके अंतिम प्रयोग समान हैं और तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय भी हैं ।
4. पीयूसी के दायरे में पालमीटेट विटामिन-ए पालमीटेट 1.6 एमआईयू/ जीएम शामिल नहीं हैं जिसका प्रयोग पशुओं के लिए होता है और पीयूसी की तुलना में इसके अलग अंतिम प्रयोग हैं ।

5. याचिकाकर्ता ने बताया है कि पीयूसी का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले व्यापक प्रकार के मध्यवर्ती उत्पादों में होता है जिनमें खाद्य, कॉस्मेटिक और भेषज उद्योग शामिल हैं । संबद्ध वस्तु को सामान्यत: अधिनियम की अनुसूची-1 की टैरिफ मद 29362100 के तहत भारत में आयातित किया जाता है । तथापि पीयूसी को अधिनियम की अनुसूची 1 की टैरिफ मदों 29362290, 29362800, 29369000, 29362690, तथा 29362990 और इसके अंतर्गत भी आयातित किया गया है। उत्पादों का सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

ख. <u>समान वस्तु</u>

6. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु समान वस्तुएं हैं । यह बताया गया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु में कोई खास अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग तथा टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से संबद्ध देशों

से आयातित वस्तु से तुलनीय है । आवेदक ने दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना गया है ।

ग. <u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

7. आवेदन पिरामल फार्मा लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है । आवेदक ने दावा किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है ।

8. आवेदक अर्थात पिरामल फार्मा लिमिटेड को 4 मार्च, 2020 को अधिनिगमित किया गया, जिसमें पिरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड के पास पिरामल फार्मा लिमिटेड के 80 प्रतिशत शेयर हैं । उल्लेखनीय है कि पीयूसी के विनिर्माण में शामिल महाड और दिगवाल संयंत्र का स्वामित्व सितंबर, 2020 तक पिरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड के पास था तथापि, व्यापारिक पुनर्गठन के कारण दिगवाल संयंत्र को सितंबर, 2020 में पिरामल फार्मा लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया था, जबकि महाड संयंत्र पिरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड के स्वामित्व में रहना जारी है । व्यवस्था की संयुक्त स्कीम के अनुपालन में 1 अप्रैल, 2022 से महाड संयंत्र को भी पिरामल फार्मा लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया ।

9. याचिका दायर करने और जांच की शुरूआत की तारीख के अनुसार दोनों संयंत्रों का स्वामित्व पिरामल फार्मा लिमिटेड के पास था । अत: वर्तमान जांच शुरू करने के उद्देश्य से पिरामल फार्मा लिमिटेड को घरेलू उद्योग माना गया है । इसके अलावा, आवेदक ने क्षति अवधि और जांच की अवधि के लिए दोनों कंपनियों (जरूरी सीमा तक) के लिए विचाराधीन उत्पाद पर अपेक्षित आंकड़े और सूचना प्रस्तुत की है।

10. आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसने पीओआई के दौरान किसी संबद्ध देश या किसी अन्य देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है । तथापि, आवेदक ने बताया है कि पिरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने क्षति अवधि के दौरान नाइजीरिया, जो संबद्ध देश नहीं है, से 200 ग्राम की मामूली मात्रा का आयात किया है । आवेदक ने स्पष्ट किया है कि यह आयात परीक्षण के प्रयोजनार्थ नमूना आधार पर किया गया था । इसके अलावा, यह

बताया गया है कि आवेदक संबद्ध देश से किसी निर्यातक और भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों से संबंधित नहीं है ।

11. रिकॉर्ड में सूचना के अनुसार आवेदक के पास भारत में समान वस्तु की घरेलू उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा है । तद्नुसार, आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(बी) के अंतर्गत यथापरिभाषित घरेलू उद्योग है और याचिका पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार, स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करती है ।

घ. <u>संबद्ध देश</u>

12. वर्तमान याचिका में संबद्ध देश चीन जन.गण., यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड है ।

ड. जांच की अवधि

13. प्राधिकारी ने जांच की अवधि (पीओआई) के रूप में 1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 (12 महीने) पर विचार किया है । क्षति की अवधि में 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019, 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2021 तथा जांच की अवधि शामिल है । याचिकाकर्ता ने अप्रैल, 2021 से जून, 2021 के लिए आंकड़े उपलब्ध कराए हैं ताकि क्षति विश्लेषण अवधि में कोई अंतराल न रहे ।

14. आवेदक ने अप्रैल, 2020 से जून, 2021 अर्थात 15 महीनों के लिए आंकड़े लिए हैं और क्षति के आकलन के प्रयोजनार्थ अनुपातिक आधार पर उन्हें वर्ष 2020- 2021 के लिए वार्षिकीकृत किया है ।

च. <u>सामान्य मूल्य</u>

<u>चीन जन.गण.</u>

15. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और जब तक चीन के उत्पादक यह नहीं दर्शाएं कि बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं, उनके सामान्य मूल्य को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए । इस संबंध में आवेदक ने अनुरोध किया है

कि वे सामान्य मूल्य के प्रयोजनार्थ कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहे थे। अत: आवेदक ने तर्कसंगत मार्जिन के साथ विधिवत रूप से समायोजित उत्पादन लागत पर विचार करते हुए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर चीन जन.गण. हेतु सामान्य मूल्य परिकलित करने का प्रयास किया है । जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में आवेदक के दावे को स्वीकार किया है ।

यूरोपीय संघ तथा स्विटजरलैंड

16. आवेदक ने दावा किया है कि यूरोपीय संघ और स्विटजरलैंड के घरेलू बाजार में संबंधित उत्पाद की कीमत के साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे, तथापि, यूरोपीय संघ और स्विटजरलैंड के घरेलू बाजारों में कोई तर्कसंगत, प्रामाणिक सौदा-बिक्री कीमत उपलब्ध नहीं थी । आवेदक ने यह भी दावा किया है कि वह यूरोपीय संघ और स्विटजरलैंड से निर्यात के समय संबद्ध वस्तु की प्रतिनिधि कीमत संबंधी आंकड़े जुटाने में भी असमर्थ रहा था । इस प्रकार, आवेदक ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ जोड़कर विधिवत रूप से समायोजित करने के बाद घरेलू उद्योग की लागत पर विचार करते हुए इन देशों में उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर यूरोपीय संघ और स्विटजरलैंड के लिए सामान्य मूल्य परिकलित करने का प्रस्ताव किया है ।

17. प्राधिकारी ने जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ यूरोपीय संघ और स्विटजरलैंड के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में आवेदक के दावे को स्वीकार किया है।

छ. निर्यात कीमत

18. संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत की गणना डीजी सिस्टम डाटा में रिपोर्ट की गई सीआईएफ कीमत पर विचार करके की गई है। आवेदक द्वारा दावा किए गए समुद्री भाड़े, हैंडलिंग शुल्क, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय भाड़े, बैंक शुल्क और क्रेडिट लागत और कमीशन/वितरण मार्जिन के आधार पर मूल्य समायोजन किया गया है।

ज. पाटन मार्जिन

19. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जो प्रथमदष्टया दर्शाती है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक है ।

झ. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध</u>

20. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है । आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा में समग्र तथा सापेक्ष वृद्धि, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और कीमत ह्रास के परिणामस्वरूप क्षति होने के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि आयातों की प्रतिकूल मात्रा और कीमत प्रभाव के कारण नकद लाभ, लाभ और निवेश पर आय के संबंध में उसका निष्पादन खराब हुआ है । इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है ।

21. आवेदक ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों में भारी वृद्धि और संबद्धदेशों से आयातों के कारण अत्यधिक कीमत ह्रास पर विचार करते हुए आयातों के कारण वास्तविक क्षति का खतरा भी है ।

ञ. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

22. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्द्वारा संबंध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए जांच की शुरूआत करते हैं।

ट. **प्रक्रिया**

23. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा ।

ठ. **सूचना प्रस्तुत करना**

24. COVID-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर, सभी संचार ईमेल पते jd13-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से नामित प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए, जिसकी एक प्रति adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो ।

25. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध ऊपर उल्लिखित ई-मेल पतों पर प्रस्तुत कर सकता है ।

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

ड. **समय-सीमा**

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पतों jd13-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in भेजी जानी चाहिए जिसकी एक प्रति adg13-dgtr@gov.in, adv11-

dgtr@gov.in, पर ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर । तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा । यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली, के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

30. इच्छुक पार्टियों को आगे सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए डीजीटीआर की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in पर नियमित नजर रखें। इच्छुक पार्टियों को निदेश दिया जाता है कि वे नियमित रूप से DGTR की वेबसाइट (https://dgtr.gov.in/) पर जाएँ ताकि विषय की जांच में आगे की घटनाओं से अवगत रहें और समय-समय पर जारी किए जाने वाले नोटिस के बारे में सूचित रहें, जो प्रश्नावली प्रारूपों के संबंध में जारी किए जा सकते हैं। पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाएं, और ऐसी अन्य जानकारी। यह सुनिश्चित करेगा कि विषय की जांच के सभी इच्छुक पक्ष विषय की जांच से संबंधित प्रगति और जानकारी से अच्छी तरह वाकिफ हैं।

ढ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

31. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार के लिए नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है ।

32. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

33. गोपनीय और अगोपनीय अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।

34. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

35. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेजों के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे संबंधी टिप्पणी कर सकते हैं ।

36. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या

सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

37. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

38. प्रदत सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ण. <u>सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण</u>

39. सभी पंजीकृत पक्षकारों की एक सूची इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे सभी अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं होगी ।

त. <u>असहयोग</u>

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(अनन्त स्वरूप)

संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी